राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार शिक्षा निदेशालय: निजी स्कूल शाखा पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

村.F.DE.15(258)/EWS/PSB/2025-26/ 1395-1402

दिनांकः - 30/01/25

शुद्धिपत्र (CORRIGENDUM)

विषय: ईडब्ल्यूएस/डीजी और दिव्यांग बच्चों (जैसा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में परिभाषित है) की प्रवेश स्तर की कक्षाओं (प्री-स्कूल/नर्सरी, प्री-प्राइमरी/केजी और प्राथमिक/कक्षा-1) में दिल्ली के निजी सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों (अल्पसंख्यक स्कूलों को छोड़कर) में प्रवेश के लिए दिशा-निर्देश।

दिनांक 03/01/2025 को जारी परिपत्र संख्या F.DE.15(258)/EWS/PSB/2025-26/30-38 में, प्राथमिक/कक्षा-1 में दिव्यांग बच्चों (CWSN श्रेणी) के प्रवेश हेतु आयु सीमा, जो 31.03.2025 को 5-9 वर्ष निर्धारित थी, में आंशिक संशोधन किया गया है। पूर्व में उल्लिखित जन्म तिथि सीमा 01.04.2016 से 01.04.2020 के स्थान पर अब 01.04.2016 से 31.03.2020 पढ़ी जाए।

उपरोक्त परिपत्र की अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी।

सुःबि

(सुशिथा बिजु) उप शिक्षा निदेशक (निजी स्कूल शाखा)

संख्याः F.DE.15(258)/EWS/PSB/2025-26/ | 395-1402 प्रतिलिपिः

दिनांक: - 30/01/25

पीएस, आयुक्त (एमसीडी) को सूचना हेतु।

• पीएस, सचिव (शिक्षा), शिक्षा निदेशालय, जीएनसीटी दिल्ली।

पीएस, निदेशक (शिक्षा), शिक्षा निदेशालय, जीएनसीटी दिल्ली।

• निदेशक (शिक्षा), एमसीडी को सूचना हेतु।

निदेशक (शिक्षा), एनडीएमसी को सूचना हेतु।

• संयुक्त निदेशक (आईटी) को ऑनलाइन मॉड्यूल में आवश्यक संशोधन करने हेतु।

सभी जिला उप शिक्षा निदेशकों को सूचना व् प्रचार-प्रसार हेतु।

• एसओ (आईटी) से अनुरोध है कि इस परिपन्न को सार्वजनिक परिपन्न के रूप में अपलोड करें।

• अभिलेख हेत्।

मु.बि

(सुशिथा बिजु) उप शिक्षा निदेशक (निजी स्कूल शाखा)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI DIRECTORATE OF EDUCATION: PRIVATE SCHOOL BRANCH OLD SECRETARIAT, DELHI-110054

No.F.DE.15 (258)/EWS/PSB/2025-26/1395-1402

CORRIGENDUM

Sub: Guidelines for admission under EWS/DG and Children with Disabilities as defined in the Right of Persons with Disability (RPWD) Act, 2016 for Entry Level Classes (Pre-school/Nursery, Pre-primary/KG and Primary/Class-1) in Private Unaided Recognized Schools (except Minority Schools) of Delhi for the academic session 2025-2026.

In partial modification of Circular No. F.DE.15(258)/EWS/PSB/2025-26/30-38 dated 03/01/2025, regarding the age limit for children with disabilities (CWSN category) for admission to Primary/Class 1, which is 5-9 years on 31.03.2025, the required date of birth range—previously stated as between 01.04.2016 and 01.04.2020—should now be read as between 01.04.2016 and 31.03.2020.

Rest of the contents of the above mentioned circular will remain the same.

DEPUTY DIRECTOR OF EDUCATION (PSB)

No.F.DE.15(258)/EWS/FSB/2025-26/1395-1402

Copy to: -

1. PS to Commissioner (MCD), for information.

- 2. PS to Secretary (Education), Directorate of Education, GNCT of Delhi.
- 3. PS to Director (Education), Directorate of Education, GNCT of Delhi.
- 4. Director (Education) MCD, for information.
- 5. Director (Education), NDMC for information.
- 6. JD (IT) to make amendments in the online module accordingly.
- 7. All DDEs districts for information and dissemination.
- 8. SO (IT) with a request to upload the circular as public circular.
- 9. Guard File.

DEPUTY DIRECTOR OF EDUCATION (PSB)